भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 123

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नामांकित अपात्र अभ्यर्थी

***123. श्रीमती रचना बनर्जी:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नामांकन में इससे संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित आयु, शिक्षा और कार्य अनुभव संबंधी अर्हताओं का उल्लंघन किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से अब तक चिन्हित किए गए ऐसे अपात्र नामांकनों की वर्ष-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे नामांकनों के लिए प्रशिक्षण भागीदारों/एजेंसियों पर वर्ष-वार कोई जुर्माना लगाया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के निरीक्षण से पूर्व इस योजना की कोई आंतरिक संपरीक्षा की थी, यदि हां, तो ऐसी संपरीक्षाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नामांकित अपात्र अभ्यार्थियों के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तरार्थ श्रीमती रचना बनर्जी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *123 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) सरकार कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, परिणामों में सुधार लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का निरंतर लेखापरीक्षा और मूल्यांकन करती है। इस संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पहले तीन चरणों (2022 तक) को शामिल करते हुए एक कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2025/Report-No.-20-of-2025_PA-PMKVY_English-PDF-A-06943abec463479.68516873.pdf पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव पात्रता मापदंडों से संबंधित कुछ विचलन संबंधी मामलों की पहचान की गई है, जिससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और सुदृढ़ करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कई प्रणाली-स्तरीय सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण युक्त एईबीएएस उपस्थिति, सुदृढ़ प्रणाली सत्यापन, विशिष्ट लाभार्थी आईडी और निधि उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे उम्मीदवारों की एपीएएआर आईडी तैयार की जा सकेंगी, जो पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत शैक्षणिक योग्यताओं के विश्वसनीय सत्यापन में सहायक होंगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने संपूर्ण प्रणाली में जवाबदेही और अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इन उपायों में आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुपालन न करने वाली संस्थाओं का निलंबन या ब्लैकलिस्टिंग, जहां भी लागू धन की वसूली और इस तरह की समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना शामिल है। सीएजी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर संबंधित एजेंसियों से उत्तर मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

साथ ही, समय-समय पर किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन पीएमकेवीवाई कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते रहते हैं। नीति आयोग द्वारा किए गए एक मूल्यांकन (अक्टूबर 2020) से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक संख्या में नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) संघटक के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 52 प्रतिशत उम्मीदवारों ने उनके अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करने या बेहतर आय की उम्मीद करने की सूचना दी। भारतीय

लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किए गए पीएमकेवीवाई 2.0 के एक स्वतंत्र मूल्यांकन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70.5 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनके मन चाहे कौशल क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ। हाल ही में, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा वर्ष 2025 में किए गए पीएमकेवीवाई 4.0 के एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में पाया गया कि 77 प्रतिशत अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) उम्मीदवारों और सर्वेक्षण में शामिल 78 प्रतिशत आरपीएल उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण सामग्री से संतुष्ट या अत्यंत संतुष्ट होने की सूचना दी, जो देश भर में पाठ्यक्रम और उसके कार्यान्वयन की व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है।

*****